दिनांक–27.03.2026

अवकाश

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षेत्र), कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

CNR No. UPKJ01–004809–2023

परिवाद संख्या–469/2023

राहुल प्रताप सिंह बनाम प्रबल प्रताप सिंह आदि

दिनांकः–28.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी विगत तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है।

न्यायालय में उपस्थित रीडर द्वारा आदेश पत्र पर यह कथन किया कि आज परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी का बयान अंतर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22.09.2023 को अंकित किया गया उसके उपरान्त पत्रावली निरन्तर परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–202 दं0 प्र0 सं0 में नियत चल रही है। आज परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। न्यायालय द्वारा परिवादी को साक्ष्य अर्न्तगत धारा–202 दं0 प्र0 सं0 हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादी अपने परिवादपत्र पर बल नहीं देना चाहता है।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसके परिशीलन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी के साक्ष्य के अभाव में परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अर्न्तगत धारा–203 दं0 प्र0 सं0 के प्राविधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.30 11:40:46 IST
Reason: DISMISSED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ